

प्रेस नोट दि0-14.05.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना-आसपुर देवसरा, जनपद-प्रतापगढ़

ट्रक चोरी के अभियोग से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त थाना आसपुर देवसरा पुलिस की गिरफ्त में-

- ➡ पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा ट्रक चोरी के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-
- ➡ अभियुक्त मजहर उर्फ अल्लू पुत्र हकीम को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत दाउदपुर तिराहा से आगे ढकवा बाजार वाले रोड़ से गिरफ्तार किया गया-
- ➡ अभियोग से सम्बन्धित पूर्व में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
- ➡ शातिर अभियुक्त मजहर उर्फ अल्लू पुत्र हकीम पर मारपीट, गाली गलौज, हत्या का प्रयास, चोरी जैसे 03 अभियोग विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं।

घटना का विवरण-

वादी ने दिनांक 29.12.2024 को सुबह बारह चक्का ट्रक को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत उदईशाहपुर पेट्रोल पम्प पर लाकर खड़ा किया था। दिनांक 08-01-2025 को रात्रि में ट्रक पेट्रोल पम्प से चोरी हो गया है। ट्रक के चोरी के संबंध में जानकारी वादी को दि० 14-01-2025 को पेट्रोल पम्प जाने पर पता चला। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 27/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज पूछताछ में अभियुक्तगणों द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा उ०नि० श्री धीरेन्द्र ठाकुर के नेतृत्व में उ०नि० अवधेश शर्मा मय हमराह का० कैलाश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग के दौरान मूखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 27/2025 धारा 303(2), 317(2), 317(4) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आया अभियुक्त मजहर उर्फ अल्लू पुत्र हकीम निवासी ग्राम मदईपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत दाउदपुर तिराहा से आगे ढकवा बाजार वाले रोड़ से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- मजहर उर्फ अल्लू पुत्र हकीम निवासी ग्राम मदईपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मजहर उर्फ अल्लू पुत्र हकीम निवासी ग्राम मदईपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01- मु०अ०सं० 16/2024 धारा 323 504, 506 भादवि, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

02- मु०अ०सं० 269/2021 धारा 286, 307, 325, 323, 504, 506 थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

03- मु०अ०सं० 27/2025 धारा 303(2), 317(4) बीएनएस थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० अवधेश शर्मा मय हमराह का० कैलाश यादव थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

- ➡ पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा० अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन
- ➡ हत्या का प्रयास, गाली गलौज व धमकी देने के अभियोग से संबंधित ०१ वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
- ➡ थाना आसपुर देवसरा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त ०१ अदद बाँस का डण्डा बरामद किया गया
- ➡ अभियोग से सम्बन्धित पूर्व में ०५ अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक १२.०५.२०२५ को वादी निवासी ग्राम पचौरी के साथ आरोपीगणों द्वारा एक राय होकर वादी को जान से मारने की नियत से लाठी डण्डे व धारदार हथियार से मारने के प्रकरण में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना आसपुर देवसरा में मु०अ०सं० १२६/२५ धारा १९१(२), १९१(३), १९०, ११५(२), ३५१(३), ३५२, १०९ बीएनएस बनाम ०५ नामजद अभियुक्त व ०८ व्यक्ति अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री धीरेन्द्र ठाकुर के नेतृत्व में उ०नि० अजय कुमार अंचल मय हमराह का० अरविन्द यादव, का० कैलाश यादव, का० राकेश सरोज द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना आसपुर देवसरा में पंजीकृत मु०अ०सं० १२६/२५ धारा १९१(२), १९१(३), १९०, ११५(२), ३५१(३), ३५२, १०९ बीएनएस में वांछित अभियुक्त सद्दाम खान पुत्र महबब खान निवासी ग्राम पचौरी थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त ०१ अदद बाँस का डण्डा बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

१- सद्दाम खान पुत्र महबब खान निवासी ग्राम पचौरी थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त ०१ अदद बाँस का डण्डा बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ०नि० अजय कुमार अंचल मय हमराह का० अरविन्द यादव, का० कैलाश यादव, का० राकेश सरोज थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

- ➡ प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
- ➡ थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 05 अदद देशी नाजायज बम के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-
- ➡ अभियुक्त को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत रामगढ़ बभनमई दुर्गागंज मार्ग देवासा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया-
- ➡ अभियुक्त सिकन्दर उपरोक्त पर जनपद में मारपीट, गोवध अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम जैसे संगीन अभियोग पंजीकृत हैं।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में उ०नि० अमित कुमार सिंह मय हमराह हे०कां० अमरनाथ यादव, कां० देवेन्द्र सिंह, कां० मनोज कुमार द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, दिनांक 14.05.2025 को 05 अदद देशी नाजायज बम के साथ 01 अभियुक्त सिकन्दर पुत्र इब्रार निवासी ग्राम रैनी सतखरिया थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 32 वर्ष को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत रामगढ़ बभनमई दुर्गागंज मार्ग देवासा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त के पास से 05 अदद देशी बम की बरामदगी के संबंध में थाना रानीगंज में मु०अ०सं० 135/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सिकन्दर पुत्र इब्रार निवासी ग्राम रैनी सतखरिया थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 32 वर्ष।

सिकन्दर पुत्र इब्रार निवासी ग्राम रैनी सतखरिया थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु०अ०सं० 193/2024 धारा 323, 427, 452, 504, 506 भादवि थाना रानीगंज, प्रतापगढ़।
02. मु०अ०सं० 742/2022 धारा 3/5/8 गोबध अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना लालगंज प्रतापगढ़।
03. मु०अ०सं० 135/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना रानीगंज, प्रतापगढ़।

बरामदगी-

05 अदद देशी नाजायज बम बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० अमित कुमार सिंह मय हमराह हे०कां० अमरनाथ यादव, कां० देवेन्द्र सिंह, कां० मनोज कुमार थाना रानीगंज, प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

- ➡ बीट आरक्षी के सर्तकता से 25 हजार रुपये का इनामियां 01 गैंगस्टर अभियुक्त गिरफ्तार

- ➡ थाना कोतवाली नगर के आरक्षी मो0 आरिफ ने 25 हजार रुपये का इनामियां 01 गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिंकजा
- ➡ आरक्षी मो0 आरिफ ने साये की तरह विछाए रखी अपनी पैनी नजर
- ➡ एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना कोतवाली नगर के आरक्षी मो0 आरिफ को प्रशस्ति- पत्र, नगद पुरस्कार तथा चरित्र पंजीका में उत्तम प्रविष्टि हेतु दिये गये निर्देश
- ➡ थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत रेलवे स्टेशन टिकट घर के पीछे से 25 हजार रुपये का इनामियां 01 गैंगस्टर अभियुक्त गिरफ्तार
- ➡ गिरफ्तार इनामियां गैंगस्टर अभियुक्त चोरी, लूट, छेड़खानी व गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराध में संलिप्त हैं
- ➡ आरक्षी मो0 आरिफ के सहयोग से थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी

जनपद में अपराध नियंत्रण/संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है।

इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर के बहादुर आरक्षी मो0 आरिफ के सहयोग से दिनांक 13.05.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 78/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना कोतवाली नगर में 25 हजार रुपये का इनामियां 01 वांछित अभियुक्त (गैंग लीडर) आशीष शुक्ला उर्फ पिन्टू पुत्र शिवमूर्ति शुक्ला निवासी रामजीपुरम थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 36 वर्ष को थानाक्षेत्र कोतवाली नगर के अंतर्गत रेलवे स्टेशन टिकट घर के पीछे से गिरफ्तार किया गया।

इनामियां गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. आशीष शुक्ला उर्फ पिन्टू पुत्र शिवमूर्ति शुक्ला निवासी रामजीपुरम थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 36 वर्ष (गैंग लीडर)

आपराधिक इतिहास-

01- (गैंग लीडर) आशीष शुक्ला उर्फ पिन्टू पुत्र शिवमूर्ति शुक्ला निवासी रामजीपुरम थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास ।

1-मु0अ0सं0 671/24 धारा 309(4), 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

2-मु0अ0सं0 672/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

3- मु0अ0सं0 293/24 धारा 304(2) थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ ।

4- मु0अ0सं0 193/2021 धारा 2799, 323, 354ख, 392, 504, 506 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5ए, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

5- मु0अ0सं0 78/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986